

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 74 वर्ष 2022

आवेदक-टुरकु बेदिया उर्फ दरकु बेदिया
 ग्राम - जगुडीह
 थाना - पेटरवार जिला-बोकारो

क्रेता- दिनेश बेदिया
 ग्राम -जगुडीह
 थाना -पेटरवार जिला- बोकारो

आदेश की क्र०
 10 एवं तारीख
 01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई
 कार्रवाई के बारे में
 टिप्पणी तारीख के
 साथ।
 03

20/03/23

आदेश

यह वाद आवेदक टुरकु बेदिया उर्फ दरकु बेदिया पिता स्व० रंगलाल बेदिया निवासी जगुडीह थाना पेटरवार जिला -बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
ओरदाना	09	06	2591	10 डी०	कृषि योग्य
		06	2592	22 डी०	
		06	2594	15 डी०	
		06	2730	20 डी०	

को वे अपने आवश्यक कार्य हेतु मो० 5,41,000/- (पाँच लाख एकतालीस हजार) रुपये में क्रेता- दिनेश बेदिया पिता ब्रजू बेदिया निवासी ग्राम जगुडीह थाना पेटरवार जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 473/रा० दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 250 दिनांक 14.03.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता बेदिया जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता ग्राम जगुडीह एवं थाना-पेटरवार जिला-बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में अमर सिंह वगैरह के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी अमर सिंह बेदिया के नाम से पंजी-11 के पृष्ठ सं० 05/1 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2003-2004 तक निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि आपसी बँटवारा द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध परदादा पोता का है। बिक्री वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज अमर सिंह बेदिया के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी अमर सिंह बेदिया के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं। बिक्रेता के द्वारा एक शपथ पत्र समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि टुरकू बेदिया उर्फ दरकु बेदिया दोनों एक ही व्यक्ति हैं तथा दोनों के नाम से जाने जाते हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- अमर सिंह बेदिया के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, अमर सिंह बेदिया के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता- जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता बेदिया जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता ग्राम दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः टुरकू बेदिया उर्फ दरकु बेदिया पिता स्व० रंगलाल बेदिया निवासी जगुडीह थाना पेटरवार जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
ओरदाना	06	2591	10 डी०	टुरकू बेदिया	बजीया बेदिया	सुरजन बेदिया	खरा मॉझी
	06	2592	22 डी०				
	06	2594	15 डी०	सुरजन बेदिया	विशुन मॉझी	धाने मॉझी	बजीया बेदिया
	06	2730	20 डी०	खरा मॉझी	पुरन ठाकुर	सरजु मॉझी	खरा मॉझी
कुल 67 डी० (सरसठ डिसमिल जमीन मात्र।)							

मो० 5,94,760/- (पाँच लाख चौरान्धे हजार सात सौ साठ रुपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- दिनेश बेदिया पिता ब्रजू बेदिया निवासी ग्राम जगुडीह थाना पेटरवार जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]